झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अधिसूचना

एस0ओ0__________ राँची, दिनांक 02/12/15

विभागीय अधिसूचना संख्या–781 दिनांक 30.04.2015 के द्वारा राज्य में श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन के दृष्टिकोण से कतिपय औद्योगिक स्थापनों को कतिपय शर्तों के साथ 'स्वअभिप्रमाणन–सह–समेकित वार्षिक विवरणी' योजना लागू की गयी थी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधारों के मद्देनजर निम्न जोखिम (Low Risk Industries) वाले वैसे उद्योग जिनका श्रम अधिनियमों के अनुपालन का इतिहास संतोषप्रद रहा है, को निरीक्षण की प्रक्रिया से विमुक्ति प्रदान करने या सभी श्रम अधिनियमो के अन्तर्गत भौतिक निरीक्षण के स्थान पर स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने संबंधित व्यवस्था निरूपित करने का परामर्श दिया गया है। सम्यक विचारोपरान्त निम्न जोखिम वाले वैसे सभी उद्योग/स्थापना जिनका श्रम अधिनियमों के अनुपालन का इतिहास संतोषप्रद रहा है, को स्वअभिप्रमाणन की सुविधा इस शर्त के साथ अनुमान्य की जाती है कि ऐसे उद्योग/स्थापना प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक श्रमाधान पोर्टल पर विहित वार्षिक विवरणी अपलोड करेंगे तथा पोंटल पर ऑन–लाईन विहित समेकित पंजी में वांछित विवरणी का संधारण करेंगे।

2. जो उद्योग/स्थापना निर्धारित समय–सीमा तक 30 जून तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करेंगे या ऑन–लाईन विहित समेकित पंजी में वांछित विवरणी का संधारण नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

(संख्या–2/एफ0ए0–50–32/2015 श्र0नि0________राँची, दिनांक__________)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/एफ0ए0–50–32/2015 श्र0नि0________राँची, दिनांक__________

प्रतिलिपिः–प्रेस अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आगामी राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

E:\MY DOCUMENT\SUDHIR SIR\SELF CERTIFICATION\NOTIFICATION.docx

ज्ञापांक–2/एफ0ए0–50–32/2015 श्र0नि0________ राँची, दिनांक__________

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी उप श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक/सभी कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/एफ0ए0–50–32/2015 श्र0नि0 2083 राँची, दिनांक 02/12/15.

प्रतिलिपिः–महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/12/2015

सरकार के अवर सचिव।

E:\MY DOCUMENT\SUDHIR SIR\SELF CERTIFICATION\NOTIFICATION.docx